

न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 05 / 2021

तारीख दायर :- 11.08.2021

दिनांक निर्णय :- 08.09.2021

1. सरकार जरिये पटवारी हल्का सुरेर तहसील राजगढ़ जिला अलवर
बनाम

1. हीरा पत्नी रामजीलाल निवासी सुरेर
2. हजारी पुत्र भगवान निवासी सुरेर
3. धनपाल पुत्र भोगा निवासी सुरेर

जातीयान मीना निवासी सुरेर तहसील राजगढ़ जिला अलवर

आज पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी उपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया, अप्रार्थी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का सुरेर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिससे अप्रार्थी का अतिक्रमण सिद्ध होता है। जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थी को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी धनपाल द्वारा जवाब नोटिस दिनांक 24.08.2021 को पेश किया जिसके सम्बंध में साक्ष्य सबुत करने हेतु समय दिया गया किन्तु कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये। गुरारी (हीरा के पति का भाई), हजारी द्वारा जवाब नोटिस दिनांक 08.09.2021 को पेश किया गया जिसमें आ0ख0न0 151 रकबा 0.17 हे0 किस्म बंजड़ सिवायचक वाके ग्राम सुरेर से अतिक्रमण हटा लिया है, बाबत जवाब नोटिस में अंकित किया है। जवाब नोटिस के तथ्य सतोषप्रद नहीं है। अप्रार्थी की मंशा अतिक्रमण को कायम रखने की प्रतित होती है। चूँकी रिपोर्ट पटवारी हल्का सुरेर के अनुसार राजकीय भूमि पर अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से सम्वत 2078 में बाढा बनाकर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि:- अतिक्रमी हीरापत्नी रामजीलाल, हजारी पुत्र भगवान एवं धनपाल पुत्र भोगा जाति मीना निवासी ग्राम सुरेर को आराजी ख0न0 151 रकबा 0.17 हे0 किस्म बंजड़ सिवायचक वाके ग्राम सुरेर से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाता है, तथा सरह लगान 0.34 की 50 गुणा में मु0 17.00/-रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी राशि की कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावे। अतिक्रमी को गौतिकरूप से गौके से बेदखली हेतु गिरदावर कानूनगों/पटवारी हल्का सुरेर को आदेश दिये जाते हैं कि अतिक्रमी को गौतिकरूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट मय घटना बही की रिपोर्ट सहित पालना प्रस्तुत करे। आज दिनांक 08.09.2021 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

रा. ले. सं. 4 वर्ष. 2. 8. 21 - 22

के पृष्ठ संख्या... 11 पृष्ठ... 17/

राशि कायम किये गये।

त. स. लेखाकार

नायब तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर